



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 27(74) ग्रावि/अनु-5/जीकेएन/न्यूनतम मजदूर दर/2014-15

जयपुर दिनांक 11/5/15

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति
जिला समस्त राजस्थान।

विषय:- श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित करने के सम्बंध में।


प्रसंग:- श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.01.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रम विभाग द्वारा जारी प्रासांगिक अधिसूचना दिनांक 28.01.2015 (प्रति संलग्न)के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं (नरेगा योजना को छोड़कर) में नियोजित अकुशल श्रमिक एवं अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) की न्यूनतम मजदूरी दर क्रमशः रुपये 189/- का रुपये 199/-- पुनरीक्षित की जाती है।

भवदीय,

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(जी. एल. माथुर)

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. निजि सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजि सचिव, शासन सचिव, आयुक्त पंचायती राज विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव,(एम.एण्ड ई.) ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. अधिशाषी, अभियन्ता (अभि0) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति,जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
9. एम आईएस मेनेजर. (अनु-5) को ई-मेल करने हेतु।
10. गार्ड फाईल
11. श्री पीयूष शर्मा एम.आई.एस मेनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा.वि)